

राजस्थान – सरकार  
कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाडा

क्रमांक: न्यायालय/न्यायशुल्क रिफण्ड/2020/1532

दिनांक- 30.01.2020

:: आदेश ::

अपर जिला न्यायाधीश सं. 03 भीलवाडा द्वारा प्रकरण सं. 123/2017 में निर्णय पारित करते हुए यह आदेश दिया है कि वादी विपुल लोहिया पुत्र बंसत कुमार लोहिया निवासी 104 महावीर कॉलोनी भीलवाडा न्यायशुल्क राशि वापस प्राप्त करने के अधिकारी है और आदेशानुसार प्रकरण में रूपया 43,875/- अक्षरे तियालीस हजार आठ सौ पिच्चेतर रूपये मात्र न्याय शुल्क लौटाये जाने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

अतः न्यायालय आदेशानुसार वादी विपुल लोहिया पुत्र बंसत कुमार लोहिया निवासी 104 महावीर कॉलोनी भीलवाडा को 43,875/- अक्षरे तियालीस हजार आठ सौ पिच्चेतर रूपये मद 0030 में वापिस करने (रिफण्ड) की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

जिला कलक्टर  
भीलवाडा

प्रतिलिपि:-

- 1 अपर जिला न्यायाधीश सं. 03 भीलवाडा को उनके पत्र क्रमांक 03 दिनांक 04.01.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 2 प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि वादी को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने की कार्यवाही करें एवं संलग्न प्रपत्र पार्ट तृतीय की पूर्ति की जाकर सम्बन्धित न्यायालय में भिजावें।
- 3 कोषाधिकारी भीलवाडा को प्रेषित कर लेख हैं कि वादी द्वारा स्टाम्प की जमा राशि के चालान की प्रति चाहे जाने पर उपलब्ध करावें।
- 4 वादी विपुल लोहिया पुत्र बंसत कुमार लोहिया निवासी 104 महावीर कॉलोनी भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि जमा राशी चालान की फोटोप्रति, बैंक खाता नम्बर, पैन नम्बर, आधार नम्बर की फोटोप्रति एवं मोबाईल नं. लेखा शाखा में प्रस्तुत करें।

प्रभारी अधिकारी  
न्यायालय अनुभाग